150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
आयोजना (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प.6(11) आयो./ग्रुप–1/2013पार्ट   जयपुर, दिनांकः 3 JAN 2019

कार्यालय आदेश

कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 13(76) का/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 31.12.2018 के क्रम में सभी राजपत्रित अधिकारियों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अचल सम्पति का विवरण 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं अधिकारी द्वारा पूर्ति कराई जानी है। अचल सम्पति विवरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अधिकारियों को विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं किये जाने से संबंधित कार्यवाही प्रशासनिक विभाग द्वारा की जा सकती है।

अतः आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा एवं मूल्यांकन सेवा के समस्त राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 31.01.2019 तक (दिनांक 1 जनवरी, 2019 की स्थिति में) अनिवार्य रूप से SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन स्वयं पूर्ति करावें।

आज्ञा से

(अभिमन्यु कुमार,आई.ए.एस.)
संयुक्त शासन सचिव
आयोजना विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
2. निदेशक, मूल्यांकन संगठन निदेशालय, जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित अधिकारी।
5. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव